मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-एफ 11-31/2001/1/9 भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर, 2001.

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   भोपाल.

2. समस्त अपर सचिव/उपसचिव/अवर सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   भोपाल.

विषयः—वित्त विभाग को भेजे जाने वाले प्रकरणों में पूर्ण औचित्य दर्शाया जाना.

सचिवालयीन कार्यालयीन पुस्तिका के खण्ड छः "फाइलें तैयार करना तथा उनको प्रस्तुत करना" के सरल क्रमांक 47 पर वित्त विभाग को परामर्श हेतु भेजे जाने वाले मामलों में प्रक्रिया दर्शायी गई है. इसके अनुसार जब कोई मामला वित्त विभाग को नियमानुसार परामर्श के लिये भेजा जाना हो तो प्रशासकीय विभाग को उसके अन्तर्गत आने वाले विषयों पर प्रशासनिक निर्णय अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिये और उस विषय और विषयों को बता देना चाहिये जिसके संबंध में वित्त विभाग की सहमति या सलाह मांगी जा रही हो. फाइल ऐसे अधिकारी द्वारा ही, जो उपसचिव के पद से कम न हो, के द्वारा ही भेजनी चाहिये, अन्य अधिकारी द्वारा नहीं. यही प्रक्रिया विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को फाइलें भेजते समय भी अपनानी चाहिए.

2. शासन के ध्यान में आया है कि सचिवालयीन कार्यालय पुस्तिका के इन निर्देशों का सम्यक रूप से विभागों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है और वित्त विभाग को भेजी जाने वाली नस्तियों में प्रस्ताव का पूर्ण औचित्य नहीं दर्शाया जाता है एवं निर्धारित स्तर से भी फाइलें नहीं भेजी जा रही हैं. अतः पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि सचिवालयीन कार्यालय पुस्तिका के उक्त प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाये.

हस्ता./-
(डी. एस. माथुर)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.